



Neutral Citation No. - 2026:AHC:19858

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - A संख्या – 1166/2026

मानवेन्द्र सिंह.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

भारत संघ और 4 अन्य.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता:देवांश मिश्रा

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता:अतिरिक्त सालिसिटर जनरल-1, अशोक सिंह

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री देवांश मिश्रा की ओर से उपस्थित श्री अनूप शुक्ला (AoR A/A 1553/2022) को सुना गया, जो थे तथा प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता अशोक सिंह को सुना गया।
2. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि इस न्यायालय के पास रिट याचिका पर सुनवाई करने का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं हो सकता है; विशेष रूप से तब, जब दिनांक 19.12.2025 का विवादित आदेश अमेठी में पारित किया गया है, जिससे इस न्यायालय को क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होता है।
3. इस तथ्य पर रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई विवाद नहीं किया जा सका।
4. तदनुसार, **राजेंद्र कुमार मिश्रा बनाम भारत संघ (2005) 1 UPLBEC 108** मामले में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के आलोक में, हस्तक्षेप करने से इनकार किया जाता है। रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है, और रिट याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह उस न्यायालय में संपर्क करे जिसके पास इस मामले पर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

29 जनवरी, 2026

एन0एस0राठौर

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”